FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

....बनाम ....

किस्म मुकदमा ....प्र0स0. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसहुक्म की तामील में जारी हुए
19/9/19	प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर रा. भू. रा. अ. 1956 की [illegible] के तहत नोटिस जारी हो कर पेशी दिनांक 4/10/19 नियत की। तहसीलदार बनेड़ा भीलवाड़ा (राज.)	
4/10/19	:- पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी [illegible] पूर्वक [illegible] जाकर ग्रा०भू० किया जाकर फैसला [illegible] से कम हो। तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)	

न्यायालय तहसीलदार/~~नायब तहसीलदार~~, बनेड़ा
जिला–भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या......201+9/20.... ना.क.

अनवान

पटवार हल्का....कंकोलिया....बनाम श्री ....रोडूराम....पिता श्री........................
तहसील–बनेड़ा, जिला–भीलवाड़ा जाति....गाडरी....निवासी....मुकुन्दपुरा कंकोलिया

(प्रार्थी) (अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक....4/10/19....

पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:– ग्राम....कंकोलिया....पटवार मण्डल....कंकोलिया....तहसील बनेड़ा की बिलानाम/~~चरागाह~~ आराजी नम्बर....956....में से रकबा....5.8....बीघा पर अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्वत्....2076....के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिसं........मक्का....काश्त/अवैध कब्जा/....मक्का....कर लेने पर पटवारी हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है ।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण होना तथा जिस ....मक्का.... काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है ।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/~~चरागाह~~ भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान....0.16....X 50 ....का गुणा ....50/-....रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है । आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है ।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे । राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई जावे । बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)